

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 13/9/98 का-1-99

लखनऊ, दिनांक 9 जून, 1999

दिनांक 9 जून, 1999 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ० प्र० शासन।
- 2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।
- 3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र०।
- 4—सचिव, राज्यपाल महोदय, उ० प्र०।
- 5—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र०।
- 6—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 7—निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
- 8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया 8000 मुद्रित प्रतियां कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,
के० एम० लाल,
विशेष सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (क)

(सामान्य परित्यक्त नियम)

लखनऊ, बुधवार, ०९ जून, १९९९

ज्येष्ठ १९, १९२१ शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग

संख्या १३/९९८-का-१-९९

लखनऊ, ०९ जून, १९९९

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०-३०

संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, १९३० और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, १९३२ का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)

नियमावली, १९९९

१—(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, १९९९ कही जायेगी।

साक्षित नाम और
प्रारंभ

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(३) यह 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २२९ से आच्छादित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

परिभाषाएं

2—जब तक विषय या सर्वभू से कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिए शसक्त प्राधिकारी से है ;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(घ) "विभागीय जांच" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 7 के अधीन जांच से है ;

(ङ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम 6 के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने के लिए शसक्त किसी प्राधिकारी से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(ज) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवा और पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(झ) "समूह क, ख, ग और घ के पदों" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस संबंध में समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है ;

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य कलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं और पदों से है ।

शास्तियां :-

3—निम्नलिखित शास्तियां, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित है, सरकारी सेवकों पर अधिरोपित की जा सकती :-

लघु शास्तियां

(एक) परिनिन्दा ;

(दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना ;

(तीन) किसी दक्षतरोध को रोकना ;

(चार) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना ;

(पांच) समूह "घ" पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना ;

परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस मास के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

दीर्घ शास्तियां

(एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना ;

(दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवसति करना ;

(तीन) सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरहित नहीं करता हो ;

(चार) सेवा से पदच्युति जो भविष्य में नियोजन से निरहित करता हो ।

स्पष्टीकरण:-इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि में नहीं माना जायेगा, अर्थात् :-

(एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी सरकार सेवक की वेतनवृद्धि का रोकना ;

(दो) दक्षता रोक पार करने के लिए उपयुक्त न पाये जाने के कारण समय वेतनमान में दक्षता रोक पर वेतन का रुक जाना ।

(तीन) सेवा में परीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति का परीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति के निबन्धन या ऐसी परीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन।

(चार) परीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा के निबन्धन या ऐसी परीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, सेवा का पर्यवर्तन।

4—(1) कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण को विरुद्ध कोई जांच अनुष्ठान है या उसकी निलम्बन कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक को विरुद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा सशक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष समूह "क" और "ख" पदों के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों को वर्ग को इस नियम के अधीन निलम्बित कर सकेगा।

परन्तु यह और भी कि समूह "ग" और "घ" पदों के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक जिसके संबंध में या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो सरकारी सेवक के रूप में उसकी स्थिति से संबंधित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, उसके विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से संबंधित समस्त कार्यवाहियां समाप्त न हो जायें।

(3) (क) कोई सरकारी सेवक यदि वह अड़तालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो चाहे निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो निलम्बित करने के लिए संक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायगा।

(ख) उपर्युक्त सरकारी सेवक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात् अपने निरोध के बारे में संक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरुद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। संक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस नियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपसंहरण करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा।

(4) कोई सरकारी सेवक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अड़तालीस घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई है और उसे ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, तो इस नियमावली के अधीन निलम्बन के लिए संक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में निर्दिष्ट अड़तालीस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् और कोई भी

(5) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस नियमावली या इस नियमावली द्वारा विखंडित नियमावली के अधीन अपील में या पुनरीक्षण करने में अपास्त कर दिया जाय और मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाय वहां—

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायगा;

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे मामले में जहां किसी सरकारी सेवक पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरुद्ध अग्रतर जांच लम्बित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, प्रारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है।

(6) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरुद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूलरूप में आरोपित की गई थी, अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहे या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहां—

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निर्देश के अधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायगा।

(7) जहां कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाय।

(8) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रस्तावित बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपात्तरित या प्रतिसंहत न कर दिया जाय।

(9) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधीन या निलम्बन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेशियल हैण्ड बुक, लॉन्ग रोल, भाग दो से चार के क्रमानुसृत कल 53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।

5—इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या अपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात् संबंधित सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को इयूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनल हेण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के नियम-54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

निलम्बन अवधि में वेतन और भत्ते आदि

6—किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जो इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पर नियम 3 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश श्रेणी-दो सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 1973 के अधीन अधिसूचित विभागाध्यक्ष इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा समूह "ग" और "घ" के पदों के किसी सरकारी सेवक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित की जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

7—किसी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी:—

दीर्घ शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

(एक) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(दो) अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप-पत्र कहा जायेगा। आरोप-पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं वहां आरोप-पत्र संबंधित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे जिससे आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सके। आरोप-पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्यों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हो, आरोप-पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।

(चार) आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह कथन करे कि आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा।

(पांच) आरोप-पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हो, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी; उपर्युक्त रीति से आरोप-पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप-पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो वहां इसकी प्रति आरोप-पत्र के साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित सरकारी सेवक को उसे जांच अधिकारी के समक्ष निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायगी।

(छः) जहां आरोपित सरकारी सेवक उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार करता है, वहां जांच अधिकारी ऐसी अभिलेखीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(सात) जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में, जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था :

प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

(आठ) जांच अधिकारी उत्तर प्रदेश विभागीय ज्ञान (साक्ष्यों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(नौ) जांच अधिकारी सत्य का प्रता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकता है।

(दस) जहां आरोपित सरकारी सेवक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है तो, जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच अधिकारी, आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में, आरोप-पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा।

(ग्यारह) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवक या विधि व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायगा नियुक्त कर सकता है।

(बारह) सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे, दिया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:-

(एक) जहां किसी व्यक्ति पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई हो जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराए, या

(दो) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता है कि इस नियमावली में उपबध्ति रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है, या

(तीन) जहाँ राज्यपाल को यह समाधान हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस नियमावली में उपबध्ति रीति से जांच किया जाता समीचीन नहीं है।

8—जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष का विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

जांच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना

9—(1) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनर्जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, नियम-7 के उपबध्दों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।

जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।

(3) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायगा और तदनुसार उसे सूचित कर दिया जायगा।

(4) यदि समस्त या किन्हीं आरोपों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए। तो वह उपनियम (2) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस नियमावली के नियम 16 के उपबध्दों के अध्याधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए एक युक्ति संगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।

10—(1) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हैं, वहाँ वह उपनियम (2) के उपबध्दों के अध्याधीन रहते हुए, नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा।

लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

(2) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहाँ कोई शास्ति अधिरोपित की जाय वहाँ उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश संबंधित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायगा।

11—(1) इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।

अपील

(2) अपील, अपील प्राधिकारी को सम्बोधित और प्रस्तुत की जायगी। यदि कोई सरकारी सेवक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तार्किक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो।

(3) अपील में किसी असंगत भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय, सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी।

(4) अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी। उक्त अवधि के पश्चात् कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायगी।

अपील पर विचार

12—अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अपील में इस नियमावली के नियम 13 के खण्ड (क) से (घ) में यथाउल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे—

(क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके हैं;

(ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, और

(ग) क्या शास्ति अत्यधिक, समीपता सा अपर्याप्त है।

पुनरीक्षण

13—इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, सरकार स्वप्रेरणा से या संबंधित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को भंग कर सकती है जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो और

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुष्टि कर सकती, उसका उपान्तर कर सकती या उसे उलट सकती, या

(ख) निदेश दे सकती कि मामले में अप्रतिर जांच की जाय, या

(ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकती या उसमें वृद्धि कर सकती, या

(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकती जैसा वह उचित समझे।

पुनर्विलोकन

14—राज्यपाल यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्त्विक छूट हो गई थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती।

शक्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर

15—नियम 12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित यथार्थता, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

आयोग से परामर्श

16—इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी आदेश को पारित किये जाने के पूर्व समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के अधीन यथा अपेक्षित आयोग से भी परामर्श किया जायेगा।

विखंडन और व्यावृत्ति

17—(1) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 एतद्वारा विखंडित की जाती है।

(2) ऐसे विखंडन के होते हुए भी,—

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 में उल्लिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 के अधीन जारी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारी की नियम 13 में उल्लिखित किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस नियमावली के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे रद्द या विखंडित न कर दिया जाय।

(ख) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को लम्बित कोई जांच, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किया जायगा,

(ग) इस नियमावली की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन से वंचित नहीं करेगी जो उसे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी पारित आदेश के संबंध में इस नियमावली के प्रवर्तन न होने पर प्राप्त होते और इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस नियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तदनुसार निस्तारित की जायेगी मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/9/98-Ka-1-99, dated June 9, 1999 :

NO. 13/9/98-Ka-1-99

Dated Lucknow, June 9, 1999

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930 and Punishment and Appeal Rules for Subordinate Service, Uttar Pradesh, 1932, the Governor is pleased to make the following rules :—

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANT (DISCIPLINE AND APPEAL) RULES, 1999

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999.

Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to Government servants under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution except the Officers and Servants of the High Court of Judicature at Allahabad covered under Article 229 of the Constitution of India.

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

Definitions

(a) "Appointing Authority" means the authority empowered to make appointments to the posts under the relevant service rules;

(b) "Constitution" means the Constitution of India;

(c) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(d) "Departmental Inquiry" means the inquiry under rule 7 of these rules;

(e) "Disciplinary Authority" means an Authority empowered under rule 6 to impose penalties;

(f) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(h) "Government Servant" means a person appointed to public services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh;

(i) "Group A,B,C and D posts" means the posts mentioned as such in the relevant Service Rules or the orders of the Government issued from time to time in this regard;

(j) "Service" means the public services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh.

Penalties

3. The following penalties may, for good and sufficient reason and as hereinafter provided, be imposed upon the Government Servants :—

Minor Penalties

(i) Censure;

(ii) Withholding of increments for a specified period;

(iii) Stoppage at an efficiency bar;

(iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders;

(v) Fine in case of persons holding Group 'D' posts:

Provided that the amount of such fine shall in no case exceed twenty five per cent of the months pay in which the fine is imposed.

Major Penalties

(i) Withholding of increments with cumulative effect;

(ii) Reduction to a lower post or grade or time scale or to a lower stage in a time scale;

(iii) Removal from the service which does not disqualify from future employment;

(iv) Dismissal from the service which disqualifies from future employment.

Explanation :—The following shall not amount to penalty within the meaning of this rule, namely :—

(i) Withholding of increment of a Government Servant for failure to pass a departmental examination or for failure to fulfil any other condition in accordance with the rules or orders governing the service;

(ii) Stoppage at the efficiency bar in the time scale of pay on account of ones not being found fit to cross the efficiency bar;

(iii) Reversion of a person appointed on probation to the service during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of appointment or the rules and orders governing such probation;

(iv) Termination of the service of a person appointed on probation during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of the service or the rules and orders governing such probation.

4.(1) A Government Servant against whose conduct an inquiry is suspended, or is proceeding may be placed under suspension pending the conclusion of the inquiry in the discretion of the Appointing Authority:

Provided that suspension should not be resorted to unless the allegations against the Government Servant are so serious that in the event of their being proved may ordinarily warrant major penalty.

Provided further that concerned Head of the Department empowered by the Government by an order in this behalf may place a Government Servant or class of Government Servants belonging to Group 'A' and 'B' posts under suspension under this rule.

Provided also that in the case of any Government Servant or class of Government Servants belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Appointing Authority may delegate its power under this rule to the next lower authority.

(2) A Government Servant in respect of, or against whom an investigation, inquiry or trial relating to a criminal charge, which is connected with his position as a Government Servant or which is likely to embarrass him in the discharge of his duties or which involves moral turpitude, is pending, may, at the discretion of the Appointing Authority or the Authority to whom the power of suspension has been delegated under these rules, be placed under suspension until the termination of all proceedings relating to that charge.

(3) (a) A Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Authority Competent to suspend, with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether the detention is on criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty eight hours.

(b) The aforesaid Government Servant shall, after the release from the custody, inform in writing to the Competent Authority about his detention and may also make representation against the deemed suspension. The Competent Authority shall, after considering the representation in the light of the facts and circumstances of the case as well as the provisions contained in this rule, pass appropriate order continuing the deemed suspension from the date of release from custody or revoking or modifying it.

(4) Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Authority Competent to suspend under these rules, with effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and is not forthwith dismissed removed consequent to such conviction.

Explanation:

A period of forty eight hours referred to in sub-rule 11 be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment shall be taken to account.

(5) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules or under rules resorted by these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions:

(a) if he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any such directions as aforesaid, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal;

(b) if he was not under suspension, he shall, if so directed by the appellate or Reviewing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Appointing Authority on and from the date of the original order of dismissal or removal:

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed as affecting the power of the Disciplinary Authority in a case where a penalty of dismissal or removal in service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules grounds other than the merits of the allegations which the said penalty was imposed but the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions to pass an order of suspension being further inquiry against him on those allegations so, however, that any such suspension shall not have retrospective effect.

(6) Where penalty of dismissal or removal from service imposed upon a Government Servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the Appointing Authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, whether the allegations remain in their original form or are clarified or their particulars better specified or any part thereof of a minor nature omitted:

(a) if he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any direction of the Appointing Authority, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal;

(b) if he was not under such suspension, he shall if so directed by the Appointing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Competent Authority on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(7) Where a Government Servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the Authority Competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Government Servant shall continue to be under suspension till the termination of all or any of such proceedings.

(8) Any suspension ordered or deemed to have been ordered or to have continued in force under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the Competent Authority.

(9) A Government Servant placed under suspension or deemed to have been placed under suspension under this rule shall be entitled to subsistence allowance in accordance with the provisions of fundamental rule 53 of the Financial Hand Book, Volume-II, Part II to IV.

5. After the order is passed in the departmental enquiry or in the criminal case, as the case may be under these rules, the decision as to the pay and allowances of the suspension period of the concerned Government Servant and also whether the said period shall be treated as spent on duty or not, shall be taken by the Disciplinary Authority after giving a notice to the said Government Servant and calling for his explanation within a specified period under rule 54 of the Financial Hand Book Volume-II part II to IV.

Pay and allowances etc. the suspension period

6. The Appointing Authority of a Government Servant shall be his Disciplinary Authority who, subject to the provisions of these rules, may impose any of the penalties specified in rule 3 on him.

Disciplinary Authority

Provided that no person shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was actually appointed :

Provided further that the Head of Department notified under the Uttar Pradesh Class II Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 1973, subject to the provisions of these rules, shall be empowered to impose minor penalties mentioned in rule 3 of these rules.

Provided also that in case of a Government Servant belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Government, by a notified order, may delegate the power to impose any penalty, except dismissal or removal from service under these rules, to any Authority subordinate to the Appointing Authority and subject to such conditions as may be prescribed therein.

7. Before imposing any major penalty on a Government Servant, an inquiry shall be held in the following manner :

Procedure for imposing major penalties

(i) The Disciplinary Authority may himself inquire into the charges or appoint an Authority subordinate to him as Inquiry Officer to inquire into the charges.

(ii) The facts constituting the misconduct on which it is proposed to take action shall be reduced in the form of definite charge or charges to be called chargesheet. The chargesheet shall be approved by the Disciplinary Authority :

Provided that where the Appointing Authority is Governor, the chargesheet may be approved by the Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the concerned department.

(iii) The charges framed shall be so precise and clear as to give sufficient indication to the charged Government Servant of the facts and circumstances against him. The proposed documentary evidences and the name of witnesses proposed to prove the same along with oral evidences, if any, shall be mentioned in the chargesheet.

(iv) The charged Government Servant shall be required to put in a written statement of his defence in person on a specified date which shall not be less than 15 days from the date of issue of chargesheet and to state whether he desires to cross-examine any witness mentioned in the chargesheet and whether desires to give or produce evidence in his defence. He shall also be informed that in case he does not appear or file the written statement on the specified date, it will be presumed that he has none to furnish and Inquiry officer shall proceed to complete the inquiry exparte.

(v) The chargesheet, along with the copy of documentary evidences mentioned therein and list of witnesses and their statements, if any shall be served on the charged Government Servant personally or by registered post at the address mentioned in the official records in case the chargesheet could not be served in aforesaid manner, the chargesheet shall be served by publication in a daily news paper having wide circulation.

Provided that where the documentary evidence is voluminous, instead of furnishing its copy with chargesheet, the charged Government servant shall be permitted to inspect the same before the Inquiry Officer.

(vi) Where the charged Government Servant appears and admits the charges, the Inquiry Officer shall submit his report to the Disciplinary Authority on the basis of such admission.

(vii) Where the charged Government Servant denies the charges the Inquiry Officer shall proceed to call the witnesses proposed in the chargesheet and record their oral evidence in presence of the charged Government Servant who shall be given opportunity to cross examine such witnesses. After recording the aforesaid evidences, the Inquiry Officer shall call and record the oral evidence which the charged Government Servant desired in his written statement to be produced in his defence.

Provided that the Inquiry Officer may for reasons to be recorded in writing refuse to call a witness.

(viii) The Inquiry Officer may summon any witnesses to give evidence or require any person to produce documents before him in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976.

(ix) The Inquiry Officer may ask any question he pleases, at any time of any witness or from person charged with a view to discover the truth or to obtain proper proof of facts relevant to charges.

(x) Where the charged Government Servant does not appear on the date fixed in the inquiry or at any stage of the proceeding inspite of the service of the notice on him or having knowledge of the date, the Inquiry Officer shall proceed with the inquiry ex parte. In such a case the Inquiry Officer shall record the statement of witnesses mentioned in the chargesheet in absence of the charged Government Servant.

(xi) The Disciplinary Authority, if it considers it necessary to do so, may, by an order appoint a Government Servant or a legal practitioner, to be known as "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the charge.

(xii) The Government servant may take the assistance of any other Government Servant to present the case on his behalf but not engage a legal practitioner for the purpose unless the presenting officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner of the Disciplinary Authority having regard to the circumstances of the case so permits.

Provided that this rule shall not apply in following cases :—

(i) Where any major penalty is imposed on a person on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(ii) Where the Disciplinary Authority is satisfied, that for reason to be recorded by it in writing, that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules; or

(iii) Where the Governor is satisfied that, in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold an inquiry in the manner provided in these rules.

8. When the inquiry is complete, the Inquiry Officer shall submit its inquiry report to the Disciplinary Authority along with all the records of the inquiry. The inquiry report shall contain a sufficient record of brief facts, the evidence and statement of the findings on each charge and the reasons thereof. The Inquiry Officer shall not make any recommendation about the penalty. Submission of Inquiry Report

9. (1) The Disciplinary Authority may, for reasons to be recorded in writing, submit the case for re-inquiry to the same or any other Inquiry Officer under intimation to the charged Government Servant. The Inquiry Officer shall thereupon proceed to hold an inquiry from such stage as directed by the Disciplinary Authority, according to the provisions of Rule 7. Action on Inquiry Report

(2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the Inquiry Officer on any charge, record its own findings thereon for reasons to be recorded.

(3) In case the charges are not proved, the charged Government Servant shall be acquitted and the Disciplinary Authority of the charges and informed him accordingly.

(4) If the Disciplinary Authority, having regard to its findings on all or any of the charges is of the opinion that any penalty specified in rule 3 should be imposed on the charged Government Servant, he shall give a copy of the inquiry report and his findings recorded under sub-rule (2) to the charged Government Servant and require him to submit his representation if he so desires, within a reasonable specified time. The Disciplinary Authority shall, having regard to all the relevant records relating to the inquiry and representation of the charged Government Servant, if any, and subject to the provisions of rule 16 of these rules, pass a reasoned order imposing one or more penalties mentioned in rule 3 of these rules and communicate the same to the charged Government Servant.

10. (1) Where the Disciplinary Authority is satisfied that good and sufficient reasons exist for adopting such a course, it may, subject to the provisions of sub-rule (2) impose one or more of the minor penalties mentioned in rule 3. Procedure for imposing minor penalties

(2) The Government Servant shall be informed of the substance of the imputations against him and called upon to submit his explanation within a reasonable time. The Disciplinary Authority shall, after considering the said explanation, if any, and the relevant records, pass such orders as he considers proper and where a penalty is imposed, reason thereof shall be given. The order shall be communicated to the concerned Government Servant.

11. (1) Except the orders passed under these rules by the Governor, the Appeal Government Servant shall be entitled to appeal to the next higher authority from an order passed by the Disciplinary Authority.

(2) The appeal shall be addressed and submitted to the Appellate Authority. A Government Servant Preferring an appeal shall do so in his own name. The appeal shall contain all material statements and arguments relied upon by the appellant.

1890-श्री0जा0-05द/पा0कालि/2001-7-05द/2001

दिनांक: 20 जून, 2001

- सम्स्त मुख्य महाप्रबन्धक
- सम्स्त महाप्रबन्धक
- उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,

विषय:- अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप प्रदत्त दण्ड के विरुद्ध अपील किये जाने के सम्बन्ध में।

होदय,

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 1 अनुशासन स्वसु अपील 1 नियमावली, 1999 को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-1 की अधिनूचना संख्या-13/7/98-का-1-92, संकां 99.06.99 द्वारा जारी की गई है, के नियम-11.14 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि किसी दण्ड देश के विरुद्ध "अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के संकां से 90 1 नब्बे 1 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी स्वसु उक्त अवधि के पश्चात की कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।" प्रायः यह अनुभाव किया रहा है कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त दण्ड के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की विलम्ब से की जाती है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोई अधिकारी/कर्मचारी, उ प्राप्त होने की दशा में यदि प्रत्यावेदन/अपील करना चाहता है तो वह 90 1 नब्बे 1 की निर्धारित समय सीमा के भीतर ही दण्ड देश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील करें। सम्ब से प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदन स्वसु अपीलों को कॉरपोरेशन द्वारा सरसरी तौर पर खारिज करने की कार्यवाही की जा सकती है।

कृपया उक्त व्यवस्था से अपने अधीन सम्स्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने की कृपा करें।

भावदीय,

20/6

एस0पी0 सिंह

उप महाप्रबन्धक 1 डी0पी0 1

1890 1 1 श्री0जा0-05द/पा0कालि/2001-तदुदिनांक 1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनाार्थ स्वसु आवश्यक कार्यवाही हेतु

मुख्य अभियन्ता 1 जल-विद्युत 1, उ0प्र0 पा0का0लि0, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ 1

सम्स्त उप महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1

निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड स्वसु उ0प्र0 जल-विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ 1

सम्स्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1

कॉरपोरेशन मुख्यालय के सम्स्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शाक्ति भवन, लखनऊ 1

महाप्रबन्धक 1 कम्प्यूटराइजेशन 1, शाक्ति भवन, लखनऊ 1

आज्ञा से,

20/6/01

एस0पी0 सिंह

उप महाप्रबन्धक 1 डी0पी0 1